

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1618/2025

सोनू पुत्र श्री सुखराम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गांव 6-जीएमडी, घमंडिया, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जिला कलेक्टर (भू-अभिलेख) श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
3. तहसीलदार (भू-अभिलेख), तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

----प्रतिवादीगण

संबद्ध :

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1678/2025, 1640/2025, 1642/2025, 1644/2025,
1756/2025, 1916/2025

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से	:	श्री एच.एस. सिद्धू। श्री आर.सी. जोशी। श्री अंकुर माथुर
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री आर.एस. चौधरी सुश्री रमन राठौड़।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

27/01/2025

1. इस सामान्य आदेश के तहत, उपरोक्त समूह (मामलों) का एक साथ निपटारा किया जा रहा है क्योंकि न केवल इसमें शामिल तथ्य समान हैं, बल्कि उनमें अंतर्निहित मुद्दा भी एक समान है।
 2. दृष्टांत के तौर पर, संक्षिप्तता के लिए, वृत्तांत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1618/2025 से लिए जा रहे हैं। यहाँ एक आदेश दिनांकित 15.01.2025 (अनुलग्नक पी/3) चुनौती के अधीन है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को पटवार मंडल सरदारपुराबीका, तहसील सूरतगढ़ से 17-केएनडी, तहसील रावला, जिला श्रीगंगानगर स्थानांतरित किया गया है।
 3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता पटवारी (राजस्व) के पद पर है और वर्तमान में पटवार मंडल सरदारपुराबीका, तहसील श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, जिला में तैनात है। हालांकि, आदेश दिनांकित 15.01.2025 (पी/3) द्वारा याचिकाकर्ता को पटवार मंडल सरदारपुराबीका, तहसील सूरतगढ़ से 17-केएनडी, तहसील रावला, जिला श्रीगंगानगर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 250 किमी दूर है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांकित 15.01.2025 (पी/3) राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.10.1993 के विपरीत बताया गया है। स्थानांतरण आदेश नियम, 1957 के नियम 9 और 412 के प्रावधानों के भी उल्लंघन में है। इसके अलावा, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को महज 10 महीने के बाद ही स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः, यह याचिका।
 4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्तागण के साथ-साथ प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण को भी सुना है।
-

5. सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा ध्यान राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 9 एवं 412 की ओर आकृष्ट किया गया है। यह नियम उपयुक्त एवं स्वतः स्पष्ट है, अतः इन्हें निम्न प्रकार पढ़ा जा सकता है:-

"9. स्थानान्तरण -

(i) कलेक्टर किसी पटवारी को अपने जिले के एक वृत्त या तहसील से दूसरे वृत्त या तहसील में स्थानांतरित कर सकता है: लेकिन सदस्य, भूमि अभिलेख, राजस्व मंडल की मंजूरी के बिना किसी पटवारी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में नहीं किया जाएगा। एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानांतरण राजस्व मंडल द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। उप-खंड अधिकारियों को भी पर्याप्त आधार पर किसी पटवारी को उसी तहसील के एक वृत्त से दूसरे वृत्त या अपने उप-मंडल की किसी अन्य तहसील में स्थानांतरित करने का अधिकार है।

बशर्ते कि यदि किसी पटवारी को उसके स्वयं के अनुरोध पर जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है तो वह उस जिले के मौजूदा पटवारियों से कनिष्ठ होगा।

(क) उप-खंड अधिकारी किसी पटवारी को उप-खंड के भीतर कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है और कलेक्टर किसी पटवारी को जिले के भीतर कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है:

परन्तु राज्य सरकार, जिले के भीतर किसी भी स्थान पर पटवारी के स्थानांतरण के लिए कलेक्टर को निर्देश दे सकेगी।

(ख) संभागीय आयुक्त किसी पटवारी को संभाग के भीतर कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है और राजस्व बोर्ड किसी पटवारी को राज्य के भीतर कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है:

परन्तु राज्य सरकार संभागीय आयुक्त को संभाग के भीतर कहीं भी पटवारी के स्थानांतरण के लिए अथवा राजस्व बोर्ड को राज्य के भीतर कहीं भी पटवारी के स्थानांतरण के लिए निर्देश दे सकेगी।

(ii) पटवारियों का स्थानांतरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकारी स्वयं इस बात से संतुष्ट न हो जाएँ कि ऐसा स्थानांतरण कार्य कुशलता के लिए या पटवारी के दीर्घ अवकाश, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, निलंबन या स्थानांतरण से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक है। स्थानांतरित होने वाले पटवारी को अपने उत्तराधिकारी को कार्यभार सौंपने से पहले अपना समस्त अभिलेख पूर्ण करना होगा और अपना समस्त बकाया कार्य निपटाना होगा। तहसीलदार, उपखंड अधिकारी के अनुमोदन से, अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करके और लापरवाह पटवारी के वेतन से आवश्यक राशि काटकर ऐसे कर्मचारियों को भुगतान करके अपूर्ण अभिलेख को पूरा करवा सकता है। पटवारी का असंतोषजनक कार्य या आचरण उसके स्थानांतरण का आधार नहीं, बल्कि दंडात्मक कार्रवाई का आधार होना चाहिए।

412. पटवारियों से संबंधित प्रशासनिक मामले.-

पटवारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासन के लिए कलेक्टर पूरी तरह उत्तरदायी हैं। पटवारियों का स्थानांतरण सामान्यतः अवांछनीय होता है और किसी भी हालत में व्यक्तिगत सुविधानुसार नहीं किया जाना चाहिए। ये स्थानांतरण केवल अनुच्छेद 9 में दी गई शर्तों के अधीन ही किए जा सकते हैं और इन शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अनावश्यक स्थानांतरणों से बचने के लिए, स्थानांतरण के लिए चुने गए पटवारियों का, जहाँ तक संभव हो, अन्य पटवारियों के बजाय एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। दंडात्मक स्थानांतरण कानून द्वारा परिकल्पित नहीं है। इसके अलावा, स्थानांतरण दंड का विकल्प नहीं हो सकता।"

6. पूर्वोक्त के आलोक में, **राजपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एस.बी. सिविल**

रिट याचिका संख्या 544/2021) के मामले, जिसका निर्णय 18.03.2021 को हुआ था, का संदर्भ लिया जा सकता है, और जिसमें इसी प्रकार का मुद्दा शामिल था। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने इसमें यह टिप्पणी की थी कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि नोट दर्ज नहीं किया जाता, तब तक यह पटवारी के स्थानांतरण की शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग माना

जाएगा। याचिकाकर्ताओं के मामले में, ऐसी कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई और न ही याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया। प्रासंगिक होने के कारण, उक्त निर्णय का अनुच्छेद संख्या 26, नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“26. वर्तमान मामले में, पटवारियों को स्थानांतरित करने का व्यापक, बल्कि अंधाधुंध प्रयोग करने से पहले, न तो ऐसा समाधान दर्ज किया गया है, और न ही राज्य ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त ऐसे समाधान को अभिलेख पर प्रस्तुत किया है।”

6. मैं उपरोक्त निर्णय में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हूँ। परिणामस्वरूप, याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। याचिकाकर्ताओं के संबंध में दिनांक 15.01.2025 के आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाते हैं और प्रतिवादियों को कानून के अनुसार नए स्थानांतरण आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

7. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), जे

24 -सुमित-जितेन्द्र/-

49-एसकेएम/एसपी

33, 35 एवं 37-धनंजय एस/आरमाथुर

88, 108 – एके चौहान/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate